सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या – 14

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड _{के}

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक / नियमः-

(The norms set by it for the discharge of its functions)

<u>न्यायिक कार्यो के लिए मानक/नियम–</u>

आयोग दिनांक 01.01.2025 से समस्त वाद ई—जागृति पोर्टल के माध्यम स किया जाना अनिवार्य है ।

आयोग में प्रत्येक अपील या तो अपीलार्थी या तो उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रत्येक दायर अपील में किन आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई हैं, उनका साफ-साफ उल्लेख होना चाहिए तथा क्रम संख्या दी होनी चाहिए। प्रत्येक अपील के साथ जिला आयोग के निर्णय जिसके विरूद्ध अपील दायर की जा रही हैं, की सत्यापित प्रति लगी होनी चाहिए। यदि कोई अपील निर्धारित समय से विलम्ब से प्रस्तुत की जाती हैं, तो उसके साथ प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनमें उन तथ्यों का उल्लेख हाना चाहिए जिससे अपीलार्थी यह साबित कर सकें कि विलम्ब के पीछे उचित कारण था। अपीलार्थी द्वारा अपील की चार प्रति मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सूनवाई की तिथि पर या किसी अन्य तिथि जिस पर सुनवाई नियत की गई हैं, पक्षकारों पर यह अनिवार्य हैं कि वह या तो आयोग के समक्ष स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हों। यदि वह उपस्थित नहीं होत, तो आयोग को यह अधिकार है कि वह या तो अपील निरस्त कर दें या तो उसे गुण-दोष के आधार पर निस्तारित कर दें। यदि वह पक्ष जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई हैं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होता, तो अपील की सूनवाई एक-पक्षीय की जा सकती हैं और उसका निस्तारण एक-पक्षीय गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता हैं। अपीलार्थी बिना आयोग की आज्ञा के उन तथ्या पर बहस नहीं कर सकता जिनका कि अपील के आधार में उल्लेख नही किया गया है। आयोग द्वारा अपील का निस्तारण उसकी प्रथम सुनवाई की तिथि से 90/150 दिन के भीतर होना चाहिए। मा0 आयोग का निर्णय पीठ द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । मा० आयोग के द्वारा कुछ अपरिहार्य कारणों से कुछ विवादों के निस्तारण में निधारित अवधि के अतिरिक्त समय भी लग जाता है। आयोग में अपील तीन प्रतियों एवं विपक्षियों क लिए अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।

आयोग के द्वारा अन्तिम निस्तारण आदेश की प्रथम प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। यदि किसी पक्षकार द्वारा अतिरिक्त प्रति की मांग की जाती है तो वह नियमानुसार निर्धारित शुल्क अदा करने पर प्रदान की जायेगी।